order Sheet [Contd]

90季01.71....//3-5:PL

te of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of presiding

Signature of Parties or Pleaders where necessa

परिवादी विद्युत विभाग द्वारा उपमहाप्रबंधक की ओर से।

आरोपी / गण सहित / द्वारा अधि० श्री. राम / किया उप0/आरोपी अनुपस्थिति।

प्रकरण नेशनल / मेगा लोक अदालत में पेश हुआ है। यह परिवाद विद्युत विभाग द्वारा धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम के तहत आरोपीपक्ष के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में आरोपी पक्ष पर धारा 138(1)ख विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया है।

उक्त परिवाद मामले में विद्युत विभाग की ओर से उक्त 21211 कार्यपालन यंत्री की ओर से सहायक यंत्री / किनष्ट यंत्री ने अपने अधिवक्ता सहित एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि इस मामले में आरोपी पक्ष के द्वारा विद्युत विल की बकाया राशि जमा की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में लोकहित में परिवादी विद्युत। विभाग यह परिवाद बढाना नहीं चाहता है, कार्यवाही समाप्त की जावे।

सुनाया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। उक्त। आपेदन के आलोक में इस नेशनल / मेगा लोक अदालत में परिवादी विद्युत विभाग का उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है। उक्त आरोपी का अगर जमानती/गिरफ्तारी वारंट जारी हो तो उसे। अदम बुलाने हेतु पत्र अविलब जारी हो।

> प्रकरण में कोई जप्ताशुदा सम्पत्ति नहीं है। परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

पीठासीन अधिकारी खुण्डपीठ क0-18 एव विशेष न्यायाधीश विदात अधिनियम। गोहद, जिला भिगड

JE mareelle P.S. Godoot